



पत्रांक.....

दिनांक.....

प्रदेशन पत्र का प्रारूप

पंजीकृत

सेवा में,

महोदय/महोदया,

परिषद की जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ में अन्तर्गत प्रकार के प्लैट हेतु पंजीकरण/चालान संख्या-दिनांक को हुये नम्बरिंग ड्रा में लाटरी के माध्यम से आपको प्लैट संख्या हुआ था। प्लैट का प्रदेशन पत्र का विवरण निम्नवत् है:-

योजना के पर पंजीकृत है। पर आवंटित

(क) सम्पत्ति के कुल मूल्य का विवरण

1-	निर्मित क्षेत्रफल	रु0
2-	निर्मित क्षेत्र का भूमि मूल्य	रु0
3-	सामान्य क्षेत्र का भूमि मूल्य	रु0
4-	भूमि मूल्य रु0	पर 12प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क
5-	कुल भूमि मूल्य	रु0
6-	कुल निर्माण लागत	रु0
7-	कुल देय धनराशि (5+6 का योग)	रु0
8-	कुल देय सर्विस टैक्स की धनराशि	रु0

(ख) पूर्व में जमा धनराशि का विवरण

1-	पंजीकरण हेतु जमा धनराशि	रु0
2-	किशतों के विरुद्ध जमा धनराशि	रु0
3-	कुल जमा धनराशि	रु0
4-	जमा धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त	रु0
5-	देय अवशेष धनराशि ब्याज सहित	रु0
6-	दिनांक तक कुल देय धनराशि	रु0
7-	पूर्व में जमा सर्विस टैक्स की धनराशि	रु0
8-	अवशेष सर्विस टैक्स (क 8-ख 7)	रु0

(ग) विविध शुल्क का विवरण

1-	कापर्स फण्ड की धनराशि	रु0
2-	जल संयोजन व्यय	रु0
3-	अग्रिम जल शुल्क (तीन माह का)	रु0
4-	पुनर्जीवन शुल्क	रु0
5-	विलेख निष्पादन व्यय	रु0
6-	विज्ञापन व्यय	रु0
7-	कुल योग	रु0

अतः आप यूनिशन बैंक ऑफ इण्डिया, गढ़ रोड, मेरठ में ख के क्रमांक-6 पर अंकित धनराशि का भुगतान लाल चालान पर परिषद के खाता संख्या 496601010035613 में तथा ख के क्रमांक 8 पर अंकित सर्विस टैक्स की धनराशि परिषद के खाता संख्या 496601010035754 में एवं ग के क्रमांक-7 पर अंकित धनराशि का भुगतान पीले चालान पर परिषद के खाता संख्या 496601010035330 में दिनांक तक जमा कराना सुनिश्चित करें। दिनांक तक प्लैट का कब्जा प्राप्त न करने पर रु0 50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा। उपरोक्त किसी भी धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर

क्रमशः 2

कुल 13.50 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा। आवंटी यदि उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने की तिथि के पश्चात् निरस्तीकरण हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण/टोकन मनी की 50 प्रतिशत धनराशि जब्त करते हुये आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। आवंटी के अनुरोध पर अथवा भुगतान व कब्जे सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण न करने की स्थिति में निरस्तीकरण होने पर पंजीकरण/टोकन मनी की 50 प्रतिशत धनराशि जब्त करते हुए फ्लैट का प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा एवं सम्पत्ति अन्य को आवंटित कर दी जायेगी।

नोट :- पंजीकरण पुस्तिका के पेज संख्या-16 के क्रमांक 8 के अनुसार परिसर का नियमित रखरखाव प्रथम कब्जा की तिथि से दो वर्ष हेतु रू0 10/- प्रति वर्गमीटर की दर से देय होगा, जिसे बाद में परिषद/सोसायटी को कम या अधिक करने का अधिकार होगा।

भवदीय

सम्पत्ति प्रबन्धक

फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने हेतु दिनांक

तक निम्न औपचारिकताएं पूर्ण करें :-

1. चालान की चतुर्थ प्रति मूल रूप में।
2. राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अपने हस्ताक्षरित फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर जिस पर उक्त अधिकारी द्वारा आपका नाम व पता अंकित हो दो प्रतियों में अलग-अलग प्रस्तुत करें।
3. विलेख निष्पादन हेतु सम्बन्धित खण्ड कार्यालय, निर्माण खण्ड- , मेरठ से साइट प्लान की चार प्रतियां प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
4. बैंक में जमा अध्यावधिक भुगतान की सभी रसीदें प्रस्तुत करें।
5. अनुबन्ध/विक्रय विलेख निष्पादन कराने हेतु शासनादेशानुसार देय स्टाम्प पेपर तथा रू0 100/- का अतिरिक्त स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/विक्रय विलेख टाइप कराकर प्रस्तुत करना होगा।
6. वाटर मीटर बांड हेतु रू0 100/- का स्टाम्प पेपर अलग से देय होगा।
7. रू0 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं (नाम).....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....उम्र.....वर्ष निवासी..... निम्न प्रकार शपथ पूर्वक कहता/कहती हूँ :-

1. मेरे/मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा अव्यस्क बच्चों के नाम कोई फ्लैट/भवन पूर्णतः अंशतः मेरठ नगर में नहीं है और उ0प्र0 के किसी और अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय फ्लैट/भवन नहीं है।
2. मेरे/मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा अव्यस्क बच्चों के पास नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम 1976 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
3. मैं तथा मेरी पत्नी/मेरे पति एवं अव्यस्क बच्चों द्वारा उ0प्र0 नगरीय सीमा में केवल एक भवन के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती हूँ।
4. मेरी समस्त स्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष.....को वार्षिक आय, जिसमें मेरी/मेरे/पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अव्यस्क बच्चे भी सम्मिलित हैं। कुल रू0से अधिक नहीं थी।

मैं (नाम).....घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान :

दिनांक :

शपथी

प्रमाणित

प्रमाणित मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी